



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.

Phone @ Fax No&01372252149

Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्रांक:—मान0

/ गोपेश्वर,

दिनांक 30/09/2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
देहरादून।

द्वारा :-

निदेशक/वन संरक्षक नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

विषय—

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-14 के अन्तर्गत मालई से भटक्वाली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.376 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:—

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 08बी/यू०सी०पी०/०६/७३/२०१६/एफ०सी०/५९४, दिनांक २८.०७.२०२३।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा निगत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग(पी०एम०जी०एस०वाई०) खण्ड कर्णप्रयाग के पत्र की छायाप्रति सहित ०१ प्रति में निम्नानुसार प्रेषित है:—

क्र० सं०	शर्त संख्या	अनुपालन आख्या
1	State Government is requested to provide the reason of delay of 7 years in submitting compliance to Stage-I approval.	<p>अवगत कराना है, कि उक्त मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 08बी/यू०सी०पी०/०८/७३/२०१६/एफ०सी०/९२६, दिनांक ०८.०९.२०१६ द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है (छायाप्रति संलग्न)। विधिवत स्वीकृति प्राप्त न होने/विलम्ब होने के सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी आख्या निम्नवत है:—</p> <p>(1) एन०पी०वी० जमा किये जाने की कार्यवाही में व्यतीत समय:—</p> <p>(क):— उक्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त एन०पी०वी० इत्यादि धनराशि की मांग इस कार्यालय, के पत्रांक 1215/12-1, दिनांक 03.10.2016 द्वारा प्रस्तावक विभाग को प्रेषित की गई, प्रस्तावक विभाग द्वारा इस कार्यालय द्वारा की गयी मांग को ऑनलाईन जनरेट किया गया।</p> <p>(ख):— प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन की गयी मांग को अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा दिनांक 27.01.2017 को सत्यापित की गई, जिसके उपरान्त दिनांक 14.02.2017 को प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन चालान जनरेट किया गया (छायाप्रति संलग्न)।।</p> <p>(ग):— प्रस्तावक विभाग के कार्यालय के पत्रांक 901, दिनांक 22.02.2017 के द्वारा एन०पी०वी० की मांग/जनरेट चालान की प्रति सहित</p>

मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0 को ए0पी0वी0 जमा किये जाने हेतु प्रेषित की गई (छायाप्रति संलग्न)। मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0 के कार्यालय पत्रांक 9979, दिनांक 22.03.2017 द्वारा उक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु शाखा प्रबन्धक ओ0बी0सी0 देहरादून को लिखा गया (छायाप्रति संलग्न) जो कि ऑनलाईन दिनांक 07.04.2017 को जमा हुई है (छायाप्रति संलग्न)।

(घ):- उक्तानुसार दिनांक 07.04.2017 को एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की गई, किन्तु Forest Clearance की बेबसाईट पर उक्त धनराशि कैम्पा के खाते में Paid show न होने के कारण प्रस्ताव विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित नहीं किया जा सका। जिसके निस्तारण हेतु प्रस्तावक विभाग के कार्यालय के पत्रांक 322, दिनांक 12.07.2017 एवं पत्रांक 431, दिनांक 11.08.2017 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून को Forest Clearance की बेबसाईट पर संशोधन हेतु लिखा गया (छायाप्रति संलग्न)। उक्त क्रम में इस कार्यालय द्वारा भी अपने कार्यालय पत्रांक 826/12-1, दिनांक 17.08.2017 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून को उक्तानुसार संशोधन हेतु लिखा गया। सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त एन0पी0वी0 जमा तथा Forest Clearance की बेबसाईट पर संशोधन होने तक लगभग 12 से 13 माह का समय व्यतीत हुआ।

(2) म्यूटेशन की कार्यवाही में व्यतीत समय:-

उक्त प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 08.09.2016 को सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने के उपरान्त प्रस्तावक विभाग के कार्यालय के पत्रांक 636/चार-प्रावि0/वनभूमि/2016-17, दिनांक 15.10.2016 द्वारा जिलाधिकारी, चमोली को म्यूटेशन की कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया (छायाप्रति संलग्न)।

(क):- जिलाधिकारी, चमोली के कार्यालय आदेश संख्या 281/छब्बीस-एम0बी(2015-16), दिनांक 18.10.2016 द्वारा उपजिलाधिकारी, कर्णप्रयाग को म्यूटेशन की कार्यवाही हेतु लिखा गया (छायाप्रति संलग्न), किन्तु उक्त म्यूटेशन की कार्यवाही उपजिलाधिकारी, गैरसँण द्वारा करवायी जानी थी, जिस कारण पुनः जिलाधिकारी चमोली के पत्रांक 1391/छब्बीस-एम0बी0 (2016-17), दिनांक 24.12.2016 द्वारा उपजिलाधिकारी, गैरसँण को लिखा गया (छायाप्रति संलग्न)। उक्त तिथि तक लगभग 02 माह का समय व्यतीत हुआ।

(ख):- जिलाधिकारी, चमोली के कार्यालय आदेश संख्या 2126/छब्बीस-14 (2016-17), दिनांक 22.02.2017 द्वारा म्यूटेशन की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त तिथि तक लगभग 04 माह का समय व्यतीत हुआ।

(ग):- म्यूटेशन के आदेश में हो रहे विलम्ब के कारण प्रस्तावक विभाग के कार्यालय के पत्रांक 462(प)/चार-प्रावि0/2017-18, दिनांक-26.08.2017 द्वारा म्यूटेशन प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु जिलाधिकारी महोदय चमोली को लिखा गया। जिसके क्रम में जिलाधिकारी चमोली द्वारा पत्र संख्या 5709/छब्बीस-एम0बी0 (2016-17), दिनांक 31.08.2017 के माध्यम से उपजिलाधिकारी,

गैरसैंण को म्यूटेशन की कार्यवाही हेतु लिखा गया (छायाप्रति संलग्न)। उक्त तिथि तक लगभग 10 माह का समय व्यतीत हुआ।

(घ):- दिनांक 27.01.2018 तक भी म्यूटेशन की कार्यवाही न हो पाने के कारण पुनः प्रस्तावक विभाग के कार्यालय के पत्रांक 943, दिनांक 28.01.2018 द्वारा उपजिलाधिकारी गैरसैंण को लिखा गया (छायाप्रति संलग्न)। उक्त तिथि तक लगभग 16 माह का समय व्यतीत हुआ।

(ङ):- उपजिलाधिकारी गैरसैंण से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने के उपरान्त तहसील स्तर से म्यूटेशन के प्रपत्र प्राप्त कर प्रस्तावक विभाग के कार्यालय के पत्रांक 1012, दिनांक 08.02.2018 द्वारा नामान्तरण/हस्तान्तरण प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु जिलाधिकारी चमोली को लिखा गया।

(च):- जिलाधिकारी चमोली के कार्यालय पत्रांक 3222/छबीस-14 (2016-17), दिनांक 03.03.2018 को म्यूटेशन प्रमाण पत्र निर्गत किया गया (छायाप्रति संलग्न)। सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त म्यूटेशन की कार्यवाही में लगभग 19 माह का समय व्यतीत हुआ।

उक्तानुसार एन0पी0वी0 की धनराशि जमा किये जाने में लगभग 12 माह तथा म्यूटेशन इत्यादि की कार्यवाही में लगभग 19 माह समय व्यतीत होने के उपरान्त प्रस्तावक विभाग ने सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जो इस कार्यालय के पत्रांक 4007/12-1, दिनांक 09.04.2018 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय देहरादून को प्रेषित कर दी गई थी (छायाप्रति संलग्न)। जिसे अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा दिनांक 02.09.2019 को ऑनलाईन सत्यापित किया गया (छायाप्रति संलग्न)।

प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी ने उनके कार्यालय के पत्रांक 1390/1जी-5070, दिनांक 09.11.2020 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित घोषित किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से नोडल कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्तावक विभाग को लिखा गया। प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त उल्लिखित पत्र उनके कार्यालय को विलम्ब से प्राप्त होने के कारण वांछित प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु उनके कार्यालय के पत्र संख्या 335, दिनांक 18.08.2021 द्वारा इस कार्यालय को लिखा गया है। जिस क्रम में तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तावक विभाग को उपलब्ध करा दिया गया। (छायाप्रति संलग्न)। तत्पश्चात् उच्च स्तर से भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित घोषित किये जाने सम्बन्धी प्रमाण हेतु नया प्रपत्र निर्धारित कर निर्धारित प्रपत्र में सूचना चाही गयी, जोकि पुनः तैयार कर इस कार्यालय के पत्र संख्या 264/12-1 दिनांक 12.07.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर के कार्यालय को तथा उनके कार्यालय द्वारा आपके कार्यालय को विषयांकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था, जिस पर अग्रिम कार्यवाही आपके स्तर से की जानी

		है। इस प्रकार सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या को प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है।
2	State Government is requested to submit copy of CA scheme of Rs. 15,54,538.00 based on which amount is deposited in CAMPA fund.	प्रस्तावक विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा की गयी धनराशि रू0-15,54,538.00 का प्राक्कलन तैयार कर संलग्न है। (संलग्न)
3	In Compliance to condition no. 1, State Government is requested to submit copy of notification of CA area as RF/PF.	प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरित सिविल और सोयम भूमि अधिसूचना संख्या 869-एफ/638 दिनांक 17-10-1893 के तहत रक्षित वन घोषित है, अतः इसे पुनः आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न है। (संलग्न)
4	State Government is requested to deposit NPV as per new rates.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 हेतु वर्तमान दरों के आधार पर आगणित संशोधित धनराशि रू. 11,75,557.00 RTGS/NEFT के माध्यम से Union Bank of India में जमा कर दी गई है। संलग्न:-1- चालान की प्रति।
5	State Government is requested to submit the status of plantation in CA	प्रस्तावक विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भट्कवाली सिविल भूमि में वर्ष 2020-21 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य पूर्ण किया गया है।

अतः अनुरोध है कि विषयोंकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(इन्द्र सिंह नेगी)

प्रभागीय वनाधिकारी,

केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

संख्या 1957 /12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग (पी0एम0जी0एस0वाई0) प्रखण्ड कर्णप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

J.E.C. (1)
[Signature]
[Signature]

(इन्द्र सिंह नेगी)

प्रभागीय वनाधिकारी,

केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

[Signature]

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग (पी0एम0जी0एस0वाई0)
खण्ड कर्णप्रयाग**

Phone/Fax- 01363-244843

E-Mail- eepmgsykaranprayag1@rediffmail.com

पत्रांक 496 / चार-प्रावि0/वनभूमि पत्रा0/पी0एम0जी0एस0वाई0/2023-24,
सेवा में,

दिनांक 01/08/2023

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-14 के अन्तर्गत मालई से भटक्वाली मोटर मार्ग क निर्माण हेतु 3.376 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- 1:-भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/08/73/2016/एफ0सी0/926, दिनांक 08.09.2016
2:-भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/06/73/2016/एफ0सी0/594, दिनांक 25.07.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से मालई से भटक्वाली मोटर मार्ग पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके क्रम में विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 1119, दिनांक 13.03.2018 द्वारा पूर्व में आपको प्रेषित की गई थी, जो कि आपके कार्यालय पत्रांक 4007/12-1, दिनांक 09.04.2018 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून को प्रेषित की जा चुकी है उक्त प्रस्ताव पर विधिवत स्वीकृति हेतु पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 909, दिनांक 11.02.2022 द्वारा अनुपालन आख्या आपको प्रेषित की गई है।


वर्तमान में भारत सरकार द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम उक्त वनभूमि प्रस्ताव पर कतिपय बिन्दुओं पर सूचना चाही गई है। जिसकी बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी सेवा में प्रेषित है।

क्र0 स0	शर्त संख्या	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	State Government is requested to provide the reason of delay of 7 years in submitting compliance to Stage-I approval.	<p>अवगत करना है, कि उक्त मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 08बी/यू0सी0पी0/08/73/2016/एफ0सी0/926, दिनांक 08.09.2016 द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है (छायाप्रति संलग्न)। विधिवत स्वीकृति प्राप्त न होने/विलम्ब होने की सम्बन्ध में आख्या निम्नवत है:-</p> <p>(2) एन0पी0वी0 जमा किये जाने की कार्यवाही में व्यतीत समय:-</p> <p>(क):- उक्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त एन0पी0वी0 इत्यादि धनराशि की मांग प्रभागीय वनाधिकारी के पत्रांक 1215/12-1, गोपेश्वर दिनांक 03.10.2016 द्वारा खण्ड स्तर को प्रेषित की गई, जिसके अनुसार खण्ड स्तर से मांग ऑनलाईन जनरेट किया गया।</p> <p>(ख):- उक्त मांग अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा दिनांक 27.01.2017 को सत्यापित की गई, जिसके उपरान्त दिनांक 14.02.2017 को ऑनलाईन चालान जनरेट किया गया (छायाप्रति संलग्न)।</p> <p>(ग):- इस कार्यालय के पत्रांक 901, दिनांक 22.02.2017 के द्वारा एन0पी0वी0 की मांग/जनरेट चालान की प्रति सहित मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0 को ए0पी0वी0 जमा किये जाने हेतु प्रेषित की गई (छायाप्रति संलग्न)। मुख्य अभियन्ता, यू0आर0आर0डी0ए0 के कार्यालय पत्रांक 9979, दिनांक 22.03.2017 द्वारा उक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु शाखा प्रबन्धक अं0बी0सी0 देहरादून को लिखा गया (छायाप्रति संलग्न) जो कि ऑनलाईन दिनांक 07.04.2017 को जमा हुई है (छायाप्रति संलग्न)।</p> <p>(घ):- उक्तानुसार दिनांक 07.04.2017 को एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की गई, किन्तु Forest Clearance की वेबसाईट पर उक्त धनराशि कैम्पा के खाते में Paid show न होने के कारण प्रस्ताव विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित नहीं किया जा सका। जिसके निस्तारण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 322, दिनांक 12.07.2017 एवं पत्रांक 431, दिनांक 11.08.2017 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून को Forest Clearance की वेबसाईट पर संशोधन हेतु लिखा गया (छायाप्रति संलग्न)। उक्त क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भी अपने कार्यालय पत्रांक 826/12-1, दिनांक 17.08.2017 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, देहरादून को उक्तानुसार संशोधन हेतु लिखा गया। सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त एन0पी0वी0 जमा तथा Forest Clearance की वेबसाईट पर संशोधन होने तक लगभग 12 से 13 माह का समय व्यतीत हुआ।</p>

क्र० सं०	शर्त संख्या	अनुपालन आख्या
1	2	3
		<p>(2) म्यूटेशन की कार्यवाही में व्यतीत समय:- उक्त प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा दिनांक 08.09.2016 को सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने के उपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक 636/चार-प्रावि०/वनभूमि/2016-17, दिनांक 15.10.2016 द्वारा जिलाधिकारी, चमोली को मेशन की कार्यवाही हेतु अनुरोध किया गया (छायाप्रति संलग्न)।</p> <p>(क):- जिलाधिकारी, चमोली के कार्यालय आदेश संख्या 281/छबीस-एम०बी०(2015-16), दिनांक 18.10.2016 द्वारा उपजिलाधिकारी, कर्णप्रयाग को म्यूटेशन की कार्यवाही हेतु लिखा गया (छायाप्रति संलग्न), किन्तु उक्त म्यूटेशन की कार्यवाही उपजिलाधिकारी, गैरसँण द्वारा करवायी जानी थी, जिस कारण पुनः जिलाधिकारी चमोली के पत्रांक 1391/छबीस-एम०बी० (2016-17), दिनांक 24.12.2016 द्वारा उपजिलाधिकारी, गैरसँण को लिखा गया (छायाप्रति संलग्न)। उक्त तिथि तक लगभग 02 माह का समय व्यतीत हुआ।</p> <p>(ख):- जिलाधिकारी, चमोली के कार्यालय आदेश संख्या 2126/छबीस-14 (2016-17), दिनांक 22.02.2017 द्वारा म्यूटेशन की स्वीकृति प्रदान की गई। उक्त तिथि तक लगभग 04 माह का समय व्यतीत हुआ।</p> <p>(ग):- म्यूटेशन के आदेश में हो रहे विलम्ब के कारण इस कार्यालय के पत्रांक 462(प)/चार-प्रावि०/2017-18, दिनांक-26.08.2017 द्वारा म्यूटेशन प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु जिलाधिकारी महोदय चमोली को लिखा गया। जिसके क्रम में जिलाधिकारी चमोली द्वारा पत्र संख्या 5709/छबीस-एम०बी० (2016-17), दिनांक 31.08.2017 के माध्यम से उपजिलाधिकारी, गैरसँण को म्यूटेशन की कार्यवाही हेतु लिखा गया (छायाप्रति संलग्न)। उक्त तिथि तक लगभग 10 माह का समय व्यतीत हुआ।</p> <p>(घ):- दिनांक 27.01.2018 तक भी म्यूटेशन की कार्यवाही न हो पाने के कारण पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 943, दिनांक 28.01.2018 द्वारा उपजिलाधिकारी गैरसँण को लिखा गया (छायाप्रति संलग्न)। उक्त तिथि तक लगभग 16 माह का समय व्यतीत हुआ।</p> <p>(ङ):- उपजिलाधिकारी गैरसँण से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित करने के उपरान्त तहसील स्तर से म्यूटेशन के प्रपत्र प्राप्त कर इस कार्यालय के पत्रांक 1012, दिनांक 08.02.2018 द्वारा नामान्तरण/हस्तान्तरण प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु जिलाधिकारी चमोली को लिखा गया।</p> <p>(च):- जिलाधिकारी चमोली के कार्यालय पत्रांक 3222/छबीस-14 (2016-17), दिनांक 03.03.2018 को म्यूटेशन प्रमाण पत्र निर्गत किया गया (छायाप्रति संलग्न)। सैद्धान्तिक स्वीकृति के उपरान्त म्यूटेशन की कार्यवाही में लगभग 19 माह का समय व्यतीत हुआ।</p> <p>उक्तानुसार एन०पी०बी० की धनराशि जमा किये जाने में लगभग 12 माह तथा म्यूटेशन इत्यादि की कार्यवाही में लगभग 19 माह समय व्यतीत होने के उपरान्त इस कार्यालय के पत्रांक 1119, दिनांक 13.03.2018 द्वारा विधिवत स्वीकृति हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग गोपेश्वर को ऑफलाईन/ऑनलाईन अनुपालन आख्या प्रेषित की गई। उक्त अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी, के कार्यालय के पत्रांक 4007/12-1, दिनांक 09.04.2018 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय देहरादून को प्रेषित कर दी गई थी (छायाप्रति संलग्न)। जिसे अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा दिनांक 02.09.2019 को ऑनलाईन सत्यापित किया गया (छायाप्रति संलग्न)।</p> <p>उक्त के पश्चात अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी द्वारा भारत वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित घोषित किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम उपलब्ध कराये जाने हेतु अपने कार्यालय पत्रांक 1390/1जी-5070, दिनांक 09.11.2020 द्वारा लिखा गया गया, किन्तु पत्र विलम्ब से प्राप्त होने के कारण खण्ड द्वारा पत्र संख्या 335, दिनांक 18.08.2021 द्वारा वॉछित प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग को प्रेषित किया गया है। जिस पर अग्रिम कार्यवाही प्रभागीय वनाधिकारी स्तर तथा नोडल स्तर से की जानी थी। एन०पी०बी० की धनराशि तथा म्यूटेशन की कार्यवाही विलम्ब से होने के कारण उक्त प्रस्ताव लगभग 19 माह विलम्ब से प्रेषित किया गया। जिसके पश्चात विधिवत स्वीकृति हेतु वनभूमि प्रस्ताव सितम्बर 2018 से नवम्बर 2019 तक लगभग 14 माह और सितम्बर 2021 से जनवरी 2022 लगभग 04 माह उक्त प्रस्ताव वन विभाग स्तर पर लम्बित रहा है।</p> <p>महोदय, उक्त सम्बन्ध में इस विभाग द्वारा कोई लापरवाही नहीं बरती गयी है, अधिपु खण्ड द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विधिवत स्वीकृति हेतु ससमय सभी कार्यवाही की गई है, उक्त प्रस्ताव पर विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रिम कार्यवाही वन विभाग स्तर से वॉछित है।</p>
2	State Government is requested to submit copy of CA scheme of Rs. 15,54,538.00 based on which amount is deposited in CAMPA fund.	प्रभागीय वनाधिकारी, स्तर से सम्बन्धित है।

क्र० स०	शर्त संख्या	अनुपालन आख्या
1	2	3
3	In compliance to condition no 1, State Government is requested to submit copy of notification of CA area as RF/PF.	प्रगीय वनाधिकारी, स्तर से सम्बन्धित है।
4	State Govt. Is requested to deposit NPV as per new rates.	आपके कार्यालय पत्रांक 906/12-1 गोपेश्वर दिनांक 20.08.2022 द्वारा वर्तमान दरों के आधार पर संशोधित ए०पी०वी० जमा किये जाने हेतु इस खण्ड को प्रेषित माँग पत्र के अनुसार संशोधित ए०पी०वी० की धनराशि रू० 11,75,557.00 मात्र RTGS/NEFT के माध्यम से Union Bank of India में दिनांक 18.10.2022 को जमा की जा चुकी है (संलग्न साक्ष्य)।
5	State Government is requested to submit the status of plantation in CA area.	प्रगीय वनाधिकारी, स्तर से सम्बन्धित है।

अतः अनुरोध है, कि उक्त बिन्दुओं पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही कर नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षण उत्तराखण्ड को विधिवत स्वीकृति हेतु अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करने की कृपा करें।
संलग्न- उपरोक्तानुसार साक्ष्य/एन०पी०वी० जमा करने सम्बन्धी प्रपत्र।

भवदीय

 अधिशासी अभियन्ता,
 ग्रामीण निर्माण विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०
 खण्ड, कर्णप्रयाग।

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग (पी०एम०जी०एस०वाई०)
प्रखण्ड कर्णप्रयाग।**

Phone/Fax- 01363-244843

E-Mail- eepmgsykaranprayag1@rediffmail.com

पत्रांक 941 / चार-प्रावि०/वनभूमि पत्रा०/पी०एम०जी०एस०वाई०/2017-18,
सेवा में,

दिनांक 21 /11/2022,

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-14 के अन्तर्गत मालई से भटक्वाली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.376 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 08बी/यू०सी०पी०/08/73/2016/एफ०सी०/926, दिनांक 08.09.2016 (छायाप्रति संलग्न)।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से मालई से भटक्वाली मोटर मार्ग पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके क्रम में विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 1119, दिनांक 13.03.2018 द्वारा पूर्व में आपको प्रेषित की गई थी, जो कि आपके कार्यालय पत्रांक 4007/12-1, दिनांक 09.04.2018 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय देहरादून को प्रेषित की जा चुकी है उक्त प्रस्ताव पर विधिवत स्वीकृति हेतु पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 909, दिनांक 11.02.2022 द्वारा अनुपालन आख्या आपको प्रेषित की गई है (छायाप्रति संलग्न)।

भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित शर्तों के अनुपालन में बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार पुनः विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रसारित करने का कष्ट करें।

क्र० सं०	शर्त संख्या	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 6.75 है० ग्राम भटक्वाली सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है, अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	भारत सरकार की शर्त संख्या 01 के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल पर 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु मु० 1554538.00 मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से बैंक संख्या 242527, दिनांक 20.03.2017 द्वारा Compensatory Afforestation Fund(CAF) Uttranchal SB/Ac No 15089 ROAD Road 182222016489 Carporation Bank FCS Bangalore 21/13 rd Floor Jellita Tawer mission road Bangalore 560027 में चालान द्वारा जमा की जा चुकी है (छायाप्रति संलग्न)। शर्त संख्या 01 के अनुपालन में म्यूटेशन की कार्यवाही की जा चुकी है जिलाधिकारी चमोली द्वारा निर्गत अमलदराज का प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है (प्रति संलग्न)।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी) की धनराशि जमा की जायेगी।	भारत सरकार की शर्त संख्या 02 के अनुपालन में एन०पी०वी० की देय धनराशि मु० 2218032.00 मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से बैंक संख्या 242527, दि० 20.03.2017 द्वारा Compensatory Afforestation Fund(CAF) Uttranchal SB/Ac No 15089 ROAD Road 182222016489 Carporation Bank FCS Bangalore 21/13 rd Floor Jellita Tawer mission road Bangalore 560027 में चालान द्वारा जमा की जा चुकी है (छायाप्रति संलग्न)।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर से अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की जाए।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 03 के अनुपालन में एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है तो बढ़ी हुयी एन०पी०वी० की धनराशि किये जाने सम्बन्धी "वचनबद्धता प्रमाण पत्र" संलग्न है।

(2)

क्र० स०	शर्त संख्या	अनुपालन आख्या
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी) तथा दूसरी निधियों प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाते में, Online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है, उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। जिसकी सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।	भारत सरकार की शर्त संख्या 04 के अनुपालन में डिमान्ड नोट को ऑनलाईन कर सत्यापन एवं शर्त संख्या 01 और 02 की धनराशि मु० 3772570.00 मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से बैंक संख्या 242527, दि० 20.03.2017 द्वारा Compensatory Afforestation Fund(CAF) Utranchal SB/Ac No 15089 ROAD Road 104842015925 Corporation Bank FCS Bangalore 21/13 rd Floor Jellita Tower mission road Bangalore 560027 में चालान द्वारा जमा की जा चुकी है, ऑनलाईन जमा धनराशि की प्रति संलग्न है। (छायाप्रति संलग्न)।
5	सड़क के निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 के अनुपालन में सड़क के निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में Strip Plantation किये जाने सम्बन्धी "वचनबद्धता प्रमाण पत्र" संलग्न है।
6	The State Govt. May submit GIS Software generated Geo-referenced digital map of proposed road both hard and soft copy showing geo coordinates at 200-300m interval including all turning points and upload at para-C (iv) of online Part 1.	Online Part-1 के Coloum-C(iv) में संशोधित GIS Software generated Geo-referenced digital map Upload किया जा चुका है। जो कि इस कार्यालय के पत्रांक 320, दिनांक 05.07.2016 द्वारा पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है।
ख	अन्य आवश्यक शर्त:-	
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।	शर्त मान्य है।
2	एन0पी0बी0 की दरों में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन0पी0वी0 देने के लिए बाध्य होगा।	शर्त मान्य है।
3	प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 6.75 है० सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।	शर्त मान्य है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	शर्त मान्य है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि का चार फीट ऊँचे आर०सी०सी० पिलर लगाकर सीमकन करेगा, जिन पर Forwad एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी। जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।	शर्त मान्य है।
7	परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।	शर्त मान्य है।
8	वन भूमि के उपयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
9	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 313 से अधिक न हो।	शर्त मान्य है।

(3)

क्र० स०	शर्त संख्या	अनुपालन आख्या
10	सडक के निर्माण कार्य के पूर्ण होने क पश्चात जहाँ-जहाँ सभवन हो सडक के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip Plantation की जायेगी।	शर्त मान्य है।
11	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।	शर्त मान्य है।
12	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं, तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।	शर्त मान्य है।
13	ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।	शर्त मान्य है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है, कि उक्त मोटर मार्ग के वनभूमि प्रस्ताव पर 05 वर्ष से अधिक समय पूर्व (अर्थात् 06.01.2017 से पूर्व) सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई थी, तथा दिनांक 06.01.2022 तक भी विधिवत स्वीकृति अप्राप्त होने के कारण अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड के कार्यालय पत्रांक 1657/1-4 (IV), दिनांक 07.01.2022 के क्रम में आपके कार्यालय पत्रांक 906/12-1 गोपेश्वर दिनांक 20.08.2022 द्वारा वर्तमान दरों के आधार पर संशोधित ए0पी0वी0 जमा किये जाने हेतु इस खण्ड को प्रेषित मॉग पत्र के अनुसार संशोधित ए0पी0वी0 की धनराशि रू0 11,75,557.00 मात्र RTGS/NEFT के माध्यम से Union Bank of India में दिनांक 18.10.2022 को जमा की जा चुकी है (संलग्न साक्ष्य)।

अतः अनुरोध है, कि उक्त बिन्दुओं पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही कर नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षण उत्तराखण्ड को विधिवत स्वीकृति हेतु अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करने की कृपा करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार पूर्व प्रेषित अनुपालन आख्या/
एन0पी0वी0 जमा करने सम्बन्धी प्रपत्र।

भवदीय,

अधिकासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0
प्रखण्ड कर्णप्रयाग।

**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग (पी०एम०जी०एस०वाई०)
प्रखण्ड कर्णप्रयाग**

Phone/Fax- 01363-244843

E-Mail- eepmgsykaranprayag1@rediffmail.com

पत्रांक ५८९ / चार-प्रावि०/वनभूमि पत्रा०/पी०एम०जी०एस०वाई०/2017-18,
सेवा में,

दिनांक 11 /02/2022,

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-14 के अन्तर्गत मालई से भटक्वाली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.376 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 08बी/यू०सी०पी०/08/73/2016/एफ०सी०/926, दिनांक 08.09.2016 (छायाप्रति संलग्न)।

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा सन्दर्भित पत्र के माध्यम से मालई से भटक्वाली मोटर मार्ग पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके क्रम में विधिवत स्वीकृति हेतु अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 1119, दिनांक 13.03.2018 द्वारा पूर्व में आपको प्रेषित की गई थी, जो कि आपके कार्यालय पत्रांक 4007/12-1, दिनांक 09.04.2018 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय देहरादून को प्रेषित की जा चुकी है (छायाप्रति संलग्न)।

भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित शर्तों के अनुपालन में बिन्दुवार आख्या निम्नानुसार पुनः विधिवत स्वीकृति हेतु अग्रसारित करने का कष्ट करें।

बिन्दु संख्या 01:- भारत सरकार की शर्त संख्या 01 के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल पर 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु मु० 1554538.00 मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से बैंक संख्या 242527, दि० 20.03.2017 द्वारा Compensatory Afforestation Fund(CAF) Uttranchal SB/Ac No 15089 ROAD Road 182222016489 Corporation Bank FCS Bangalore 21/13 rd Floor Jellita Tower mission road Bangalore 560027 में चालान द्वारा जमा की जा चुकी है (छायाप्रति संलग्न)। शर्त संख्या 01 के अनुपालन में म्यूटेशन की कार्यवाही की जा चुकी है जिलाधिकारी चमोली द्वारा निर्गत अमलदराज का प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है (प्रति संलग्न)।

बिन्दु संख्या 02:- भारत सरकार की शर्त संख्या 02 के अनुपालन में एन०पी०बी० की देय धनराशि मु० 2218032.00 मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से बैंक संख्या 242527, दि० 20.03.2017 द्वारा Compensatory Afforestation Fund(CAF) Uttranchal SB/Ac No 15089 ROAD Road 182222016489 Corporation Bank FCS Bangalore 21/13 rd Floor Jellita Tower mission road Bangalore 560027 में चालान द्वारा जमा की जा चुकी है (छायाप्रति संलग्न)।

बिन्दु संख्या 03:- सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 03 के अनुपालन में एन०पी०बी० की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है तो बढ़ी हुयी एन०पी०बी० की धनराशि किये जाने सम्बन्धी "बचनबद्धता प्रमाण पत्र" संलग्न है।

बिन्दु संख्या 04:- भारत सरकार की शर्त संख्या 04 के अनुपालन में डिमान्ड नोट को ऑनलाईन कर सत्यापन एवं शर्त संख्या 01 और 02 की धनराशि मु० 3772570.00 मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से बैंक संख्या 242527, दि० 20.03.2017 द्वारा Compensatory Afforestation Fund(CAF) Uttranchal SB/Ac No 15089 ROAD Road 104842015925 Corporation Bank FCS Bangalore 21/13 rd Floor Jellita Tower mission road Bangalore 560027 में चालान द्वारा जमा की जा चुकी है, ऑनलाईन जमा धनराशि की प्रति संलग्न है। (छायाप्रति संलग्न)।

(2)

बिन्दु संख्या 05:- सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 के अनुपालन में सड़क के निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में Strip Plantation किये जाने सम्बन्धी "बचनबद्धता प्रमाण पत्र" संलग्न है।

बिन्दु संख्या 06:- Online Part-1 के Coloum-C(iv) में संशोधित GIS Software generated Geo-referenced digital map Upload किया जा चुका है। जो कि इस कार्यालय के पत्रांक 320, दिनांक 05.07.2016 द्वारा पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है।

अतः उक्त बिन्दुओं पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही कर नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षण उत्तराखण्ड को विधिवत स्वीकृति हेतु अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करने की कृपा करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
अधिशक्ती अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0
मुख्य कर्णप्रयाग।


"प्रमाण पत्र"

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा भविष्य में मालई से भटक्वाली मोटर मार्ग पर यदि एन0पी0बी0 की दरों में वृद्धि की जायेगी तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।

अधिशाली अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0
प्रखण्ड कर्णप्रयाग।

"प्रमाण पत्र"

प्रमाणित किया जाता है कि मालई से भटक्वाली मोटर मार्ग निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में Strip Plantation कर लिया जायेगा


अधिशारी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०
प्रखण्ड कर्णप्रयाग ।

कार्यालय उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।
Office of Deputy Conservator of Forest, Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.

पत्रांक:- / 12-1 गोपेश्वर, दिनांक 09 अप्रैल 2018
सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं गोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
देहरादून।

विषय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 14 के अन्तर्गत मालई से भटवाली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.376 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।
संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक 08/यू०सी०पी०/०८/७३/एफ०सी०/९२६ दिनांक ०८-०९-२०१७
नोटिस,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के दृष्टि में अवगत करना है कि अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग (पी०एम०जी०एस०वाई०) कर्णप्रयाग के पत्रांक 1119/चार प्राप्ति दिनांक 13-03-2017 द्वारा भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र में उल्लिखित अधिरोपित समस्त शर्तों की विन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को 04 प्रतियों उपलब्ध कराई गई है, अनुपालन आख्या 03 प्रतियों निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:-

- 1- शर्त संख्या 1 के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल के क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रु. 15,54,538.00 मात्र वन विभाग के पक्ष में RIGS के माध्यम से चेक संख्या 242527 दिनांक 20-03-2017 द्वारा Compensatory Afforestation Fund (CAF) Utrakhand SB/ AC No 15089 Road Road 182222016489 Corporation Bank FCS Bangalore 21/13 nd Floor jellita Tawer Mission road Bangalore 560027 में चालन द्वारा जमा की जा चुकी है। (छायाप्रति संलग्न) क्षतिपूर्क वृक्षारोपण स्थल हेतु सिविल सोयम भूमि 6.752 हे० भूमि का वन विभाग के नाम अमलदरानद की गई है। (प्रमाण पत्र व खासरे की छायाप्रति संलग्न)
 - 2- शर्त संख्या 1 के अनुसार एन०पी०वी० की धनराशि वर्तमान मूल्य पर रु० 21,18,032 .00 मात्र वन विभाग के पक्ष में NEFT/RIGS CHA LLAN for -HOC CAMPA APPLICATION NO.ROAD 113106272015302 दिनांक 20-03-2017 द्वारा जमा की गई है। चालन की प्रति संलग्न।
 - 3- शर्त संख्या 3 के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोत्तरी होती है, तो बढ़ी हुई दर क अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।
 - 4- शर्त संख्या 4 के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफ०सी० दिनांक 05/02/2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन०पी०वी० तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण CAMPA के तदर्थ निकाय खाते में Online portal के माध्यम से जो चालान Generate हुआ है। उसी माध्यम चालन की छायाप्रति संलग्न है।
 - 5- शर्त संख्या 5 के अनुसार सड़क निर्माण के पश्चात दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता एजेन्सी की देखरेख में Stripi Plantation किया जायेगा, वचन बद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न है।
 - 6- Online part I के Colomn -C(iv) में संशोधित GIS Software generated Geo- reference digital map uploaded किया गया है, जो अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग पी०एम०जी०एस०वाई० कर्णप्रयाग के पत्रांक 320 दिनांक 05-07-2016 द्वारा प्रेषित की गई है।
- सुलभ संदर्भ हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग पी०एम०जी०एस०वाई० कर्णप्रयाग के पत्रांक 1119/चार०प्राप्ति/ वन भूमि दिनांक 13-03-2018 की छायाप्रति सहित प्रेषित की जा रही है।
अतः अनुरोध है कि विषयविकित प्रकरण में अप्रैत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय,
(अमित कंवर)
उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

संख्या 1007/12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग पी०एम०जी०एस०वाई० कर्णप्रयाग सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अमित कंवर)
उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय,
पिरियसन रोड,
वन अनुसंधान संस्थान परिसर,
पो0ओ0 न्यू फॉरेस्ट, देहरादून-248006
दूर भाशा: 0135-2750809,
ईमेल/Email - moef.ddn@gmail.com

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,
FORESTS & CLIMATE CHANGE,
REGIONAL OFFICE,
Pearson Road, FRI Campus,
P.O. New Forest, Dehradun - 248006
Phone: 0135-2750809

पत्र सं० 08बी/यू0सी0पी0/06/73/2016/एफ.सी/-926

दिनांक: 08.09.2016

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद-चमोली में मलाई से भटक्वाली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.376 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ : अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन का पत्र संख्या 405/X-4-16/1 (114)/2016 दिनांक: 16.05.2016.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online proposal No. FP/UK/ROAD/18222/2016 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर समय-समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारीयां/दस्तावेज online मंगवाए जाते रहे हैं, जिनके प्राप्त होने के पश्चात् व प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद- जनपद-चमोली में मलाई से भटक्वाली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.376 हे० वन भूमि के लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 6.75 हे० ग्राम भटक्वाली सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो वही हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMP) के तदर्थ निकाय खाते में, **Online portal** के माध्यम द्वारा जो चालान **Generate** होता है, उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है। जिसकी सूचना सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।
5. सड़क के निर्माण के पश्चात् जहां-जहां सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. The State Govt. may submit GIS software generated geo-referenced digital map of proposed road both hard and soft copy showing geo coordinates at 200-300 m interval including all turning points and upload at para-C (iv) of online Part I.

उपरोक्त सभी शर्तों के परिचालन एवं विधिवत अनुपालन परियोजना आदेशों द्वारा किया जाने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपने परिसर/वन आदेशों एवं कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत स्वीकृति तथा प्रशासनिक अभिकरण की वन भूमि हस्तान्तरण की संश्लेषण एवं एक नई को लागू की जायेगी एवं वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जायेगी।

सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन प्रायः प्रेषित करने के पश्चात् विधिवत स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तों सहित निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान की जायेगी:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदलने नहीं जायेगी।
2. एन.पी.सी. की दसों से अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोजना अभिकरण बड़ी दसों पर एन.पी.सी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपनिम्न 6.75 हे० सिविल एवं आठम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा माडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
4. प्रयोजना अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास सड़कों/स्ट्रोक के विषय किसी भी प्रकार का लेबर काम नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोजना अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार कोट ऊँचे आर०सी०सी० पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. प्रयोजना अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत सड़कों एवं स्ट्रोक के लिये एसोई ग्रेस/कंशेसिन लेट की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निष्पत्तियाँ बनाई की जाने न पहुँचें।
7. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की जनस्थितियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
8. वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव से उदात्त गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
9. वन से वन वृक्षों का कटान/पानन किया जायेगा, जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 313 से अधिक न हो।
10. सड़क के निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर जवाबदा अभिकरण द्वारा अपने स्वयं पर वन सिमान्त की बड़-रख में strip plantation की जायेगी।
11. परियोजना निर्माण से उत्पन्नित मलबे का निस्तारण प्रयोजना अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलबे निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलबा नहीं फेंका जायेगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/विधिम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोजना एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
13. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार अधिष्य में पर्यावरण, वन एवं अन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें।

यदि विधिवत स्वीकृति में की गई शर्तों का सततपणनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

नववीय,



(एन०एस० नेगी)

वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अपर वन नहानिदेशक (एन०सी०) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नवाचार, इन्डिया पर्यावरण भवन, जवाहर नगर, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं मोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्डिया नगर फोरस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश प्रदायत्री।

(एन०एस० नेगी)

वन संरक्षक

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली अन्तर्गत प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मालई से भटक्वाली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.376 है० वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु दुगने क्षेत्रफल में उत्तराखण्ड शासन राजस्व अनुभाग-2, देहरादून के शासनादेश सं०-2882/XVIII(II)/11-18(120)2010 दिनांक 11 नवम्बर 2011 एवं तदकम में संशोधित शासनादेश सं०-397/XVIII(II)/2012 दिनांक 29 फरवरी 2012 व शासनादेश सं०-2173/XVIII(II)/2012-18(120)2010 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के अनुसार जिलाधिकारी चमोली के आदेश सं०-2126/छब्बीस-14 (2016-17) दिनांक 22 फरवरी 2017 के द्वारा ग्राम भटक्वाली प०वृ० माथर तहसील आदिबद्री की सीमान्तर्गत चिन्हित ख०खा०सं०-46 के खसरा सं०-606 रकवा 3.038 है० भूमि, ख०खा०सं०-38 के खसरा सं०-2694 रकवा 2.765 है० भूमि, खसरा सं०-2757 रकवा 0.933 है० एवं खसरा सं०-2759 रकवा 0.360 है० भूमि मध्ये 0.016 है० भूमि अर्थात् कुल 6.752 है० सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उप जिलाधिकारी गैरसैंण की रिपोर्ट के अनुसार उक्त सिविल सोयम भूमि का वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण/अमलदरामद किया जा चुका है।

(आशीष जोशी),
जिलाधिकारी,
चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी चमोली।

संख्या: 3222/छब्बीस-14 (2016-2017) गोपेश्वर: दिनांक: ०५ मार्च, 2018

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख, वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
6. उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, गैरसैंण/आदिबद्री।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, केदारनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
8. भू-लेख अधिकारी, जिला कार्यालय चमोली।
9. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड,

3222/14/18
कर्मप्रयाग।

5/3/18
जिलाधिकारी,
चमोली।

प्रमाण पत्र ।


प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मालई से भट्वाली मोटर मार्ग हेतु 3.376 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किया जाना है। उपरोक्त कार्य हेतु ग्राम - ग्राम भट्वाली, प०वृ०-माथर , तहसील -आदिबद्री के सीमन्तर्गत चिन्हित ख०खा०स० 46 के खसरा 606 रकबा 3.038 है०, ख०खा०स० 38 के 2694 रकबा 2.765 है०, खसरा सं० 2757 रकबा 0.933 है०, खसरा सं० 2759 रकबा 0.36 है० मध्ये 0.016 है० अर्थात् कुल 6.752 है० सिविल सोयम भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग का हस्तान्तरित की गई है। स० 1893 के राजपत्र के अनुसार यह भूमि संरक्षित वन क्षेत्र है, तथा उक्त भूमि की अमल दरामद राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है, एवं इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है। इस हेतु पृथक से संरक्षित वन घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।



(अमित कंवर)

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

कार्यालय उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर
Office of Deputy Conservator of Forest, Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar



पत्रांक:- 1215 / 2-1 गोपेश्वर, दिनांक 03 अक्टूबर, 2016
सेवा में,

अधिशारी अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
पी0एम0जी0एस0वाई प्रखण्ड,
कर्णप्रयाग।

विषय:- जनपद में मालई से भट्कवाली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.376 है0 वन भूमि का लो0नि0वी0 को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक काम में अवगत करना है कि प्रश्नगत परियोजना हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि तथा एन0पी0वी0 की धनराशि निम्नानुसार जमा की जानी है:-

क्र0सं0	नाम जिसमें धनराशि जमा की जानी है।	क्षेत्रफल	दर प्रति है0/किमी0	कुल धनराशि
1	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	6.75 है0	2,30,302.00 प्रति है0	15,54,538.00
2	एन0पी0वी0 (घनत्व . 2)	3.376 है0	6,57,000.00 प्रति है0	22,18,032.00

उक्त के अतिरिक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों का अनुपालन करते हुए आख्या इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण विधिवत स्वीकृति हेतु उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सके।

भवदीया,

(नीतू लक्ष्मी एम0)

उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

5/10/16
T.E.S.
10/10/16

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग (पी०एम०जी०एस०वाई०)
प्रखण्ड कर्णप्रयाग

E-Mail- eepmgsykaranprayag1@Rediffmail.com

Phone/Fax- 01363-244843

पत्रांक 1119 / चार-प्रावि०/वनभूगि पत्रा०/पी०एम०जी०एस०वाई०/2017-18,

दिनांक 13 / 03 / 2018,
नगरनाथ वन्य मंत्र प्रभा
रा नस्टर न० 5974
फाइल न०
पाप्त दिनांक 23-3-18

प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव वन प्रभाग,
गोपेश्वर।

विषय:-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-14 के अन्तर्गत मालई से भटक्वाली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.376 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 08बी/यू०सी०पी०/08/73/2016/एफ०सी०/926, दिनांक 03.09.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा मालई से भटक्वाली मोटर मार्ग पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित शर्तों के अनुपालन में बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार आपकी सेवा में विधिवत स्वीकृति हेतु प्रेषित है।

बिन्दु संख्या 01:- भारत सरकार की शर्त संख्या 01 के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल पर 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु मु० 1554538.00 मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से बैंक संख्या 242527, दि० 20.03.2017 द्वारा Compensatory Afforestation Fund(CAF) Uttranchal SB/Ac No 15089 ROAD Road 182222016489 Corporation Bank FCS Bangalore 21/13rd Floor Jellita Tower mission road Bangalore 560027 में चालान द्वारा जमा की जा चुकी है (छायाप्रति संलग्न)। शर्त संख्या 01 के अनुपालन में म्यूटेशन की कार्यवाही की जा चुकी है जिलाधिकारी चमोली द्वारा निर्गत अमलदराज का प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है (प्रति संलग्न)।

बिन्दु संख्या 02:- भारत सरकार की शर्त संख्या 02 के अनुपालन में एन०पी०बी० की देय धनराशि मु० 2218032.00 मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से बैंक संख्या 242527, दि० 20.03.2017 द्वारा Compensatory Afforestation Fund(CAF) Uttranchal SB/Ac No 15089 ROAD Road 182222016489 Corporation Bank FCS Bangalore 21/13rd Floor Jellita Tower mission road Bangalore 560027 में चालान द्वारा जमा की जा चुकी है (छायाप्रति संलग्न)।

बिन्दु संख्या 03:- सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 03 के अनुपालन में एन०पी०बी० की वर्तमान दरों में यदि वृद्धि की जाती है तो बढ़ी हुयी एन०पी०बी० की धनराशि किये जाने सम्बन्धी "बचनबद्धता प्रमाण पत्र" संलग्न है।

बिन्दु संख्या 04:- भारत सरकार की शर्त संख्या 04 के अनुपालन में डिमान्ड नोट को ऑनलाईन कर सत्यापन एवं शर्त संख्या 01 और 02 की धनराशि मु० 3772570.00 मात्र की धनराशि वन विभाग के पक्ष में RTGS के माध्यम से बैंक संख्या 242527, दि० 20.03.2017 द्वारा Compensatory Afforestation Fund(CAF) Uttranchal SB/Ac No 15089 ROAD Road 104842015925 Corporation Bank FCS Bangalore 21/13rd Floor Jellita Tower mission road Bangalore 560027 में चालान द्वारा जमा की जा चुकी है, ऑनलाईन जमा धनराशि की प्रति संलग्न है। (छायाप्रति संलग्न)।

क्रमशः.....

(2)

बिन्दु संख्या 05:- सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 05 के अनुपालन में सड़क के निर्माण के पश्चात जहाँ-जहाँ सम्भव हो सड़क किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देखरेख में Strip Plantation किये जाने सम्बन्धी "बचनबद्धता प्रमाण पत्र" संलग्न है।

बिन्दु संख्या 06:- Online Part-1 के Coloum-C(iv) में संशोधित GIS Software generated Geo-referenced digital map Upload किया जा चुका है। जो कि इस कार्यालय के पत्रांक 320, दिनांक 05.07.2016 द्वारा पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है।

अतः उक्त बिन्दुओं पर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही कर नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षण उत्तराखण्ड को विधिवत स्वीकृति हेतु अपनी संस्तुति सहित अग्रसारित करने की कृपा करें।

भवदीय,

अधिशारी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग, पी०एम०जी०एस०वाई०
प्रखण्ड, नर्णप्रयाग।

उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण

ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन का अभिकरण

प्रथम तल, पंचायती राज निदेशालय,

आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून

दूरभाष :- 0135-2608125 फैक्स :- 2608126

ई-मेल :- urrda@yahoo.com

पत्रांक 9979

/आई-3-20/यू0आर0आर0डी0ए0/12 दिनांक

22 मार्च 2017

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,
ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स,
रेसकोर्स, देहरादून।

विषय:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत आपकी शाखा में संचालित राज्य मद खाता सं0 15262011001939 से Corporation Bank FCS Bangalore 21/1 3rd Floor Jellita Tower mission road Bangalore 560027 के खाता सं0-15089 ROAD 182222016489 में धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निम्न सूची के अनुसार बैंक सं0-242527 दिनांक 20.03.2017 धनराशि रु0 3772570.00 संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि कृपया इसका भुगतान RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttarachal SB/Ac No 15089 ROAD 182222016489 Corporation Bank FCS Bangalore 21/1 3rd Floor Jellita Tower mission road Bangalore 560027 में चालान द्वारा जमा करने का कष्ट करें। RTGS हेतु कारपोरेशन बैंक का विवरण निम्नानुसार है।

Name:- Compensatory Afforestation Fund (CAF) Uttrakhand
Name of Bank:- Corporation Bank
Address:- FCS Bangalore 21/1 3rd Floor Jellita Tower mission road Bangalore 560027
IFC Code:- CORP0000633
A/C No:- 15089 ROAD 182222016489

क्र सं	फे ज	प्रस्ताव का नाम	जनपद	देय धनराशि				
				क्षतिपूरक वृक्षारोपण	एन0पी0वी.	मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण हेतु	मलवा निस्तारण	योग
1		मालई से भटक्वाली मोटर मार्ग	चमोली	1554538.00	2218032.00	-	-	3772570.00
Totals								3772570.00

संलग्नक-उक्त बैंक

अधिशारी अभियन्ता
यू0आर0आर0डी0ए0

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

1. नोडल अधिकारी एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून
2. अधिशारी अभियन्ता, पी0आई0यू0 ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0एम0जी0एस0वाई0 प्रखण्ड कर्णप्रयाग।

24/03/17
अधिशारी अभियन्ता
यू0आर0आर0डी0ए0

Sno./Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
16 FP/UK/ROAD/10484/2015 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/10484/2015) Dewaldhar to Kalchunda Motor Road under PMGSY	ROAD10484201592511310484201592530	11310484201592530	30 Sep 2016	CA: 1314103.212/- Addl CA: 0/- PCA: 0/- Safety Zones: 0/- Addl PA: 0/- NPV: 1874421/- strip plantation 2149567.2/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 5338091.412/-	<input checked="" type="radio"/> Paid	Fund Demand Verified by : 09 Feb 2017 Nodal Officer On Corporation Bank Bank Name NEFT/RTGS (Challan) Mode of Payment : 14 Feb 2017 Challan Generated : 13 Apr 2017 Transaction Date	Demand Letter (../write/readdata/Fundpdf/12112120152125GQ10VKalchunda.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Nefc_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD10484201592
17 FP/UK/ROAD/18222/2016 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/18222/2016) Construction of Maalai to Bhalkawali Motor Road under PMGSY	ROAD18222201648911318222201648908	1318222201648908	08 Sep 2016	CA: 1554538/- Addl CA: 0/- PCA: 0/- Safety Zones: 0/- Addl PA: 0/- NPV: 2118032/- Other Charges: 0/- Other Charges1: 0/- Other Charges2: 0/- Other Charges3: 0/- Total: 3772570/-	<input checked="" type="radio"/> Paid	Fund Demand Verified by : 27 Jan 2017 Nodal Officer On Corporation Bank Bank Name NEFT/RTGS (Challan) Mode of Payment : 14 Feb 2017 Challan Generated : 07 Apr 2017 Transaction Date	Demand Letter (../write/readdata/Fundpdf/1211212212125DU8EMalai.pdf) Generated Challan (../UserAccount/Nefc_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD18222201648

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.

Phone / Fax No-01372252149

Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्रांक:- मान0

१०६ / १२-१ गोपेश्वर,

दिनांक

२०/०८/२०२२

सेवा में,

अधिशायी अभियन्ता,
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग,
पी०एम०जी०एस०वाई प्रखण्ड कर्णप्रयाग।

विषय:- एन०पी०वी० की संशोधित धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून का पत्रांक १६५७/१-४१(IV), दिनांक ०७/०१/२०२२।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत करना है कि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में एन०पी०वी० की दरों में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन (वन संरक्षण प्रभाग) इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड नई दिल्ली के फाईल सं० ५-३/२०११-FC(Vol-I), दिनांक १९-०१-२०२२ (प्रति संलग्न) को पुर्ननिर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है।

पुर्ननिर्धारित एन०पी०वी० की दरों के लागू होने की तिथि के सम्बन्ध में भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के (Forest Conservation Division) के फाईल न० ५-३/२०११-FC(Vol-I), दिनांक १९-०१-२०२२ द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुसार संशोधित एन०पी०वी० की दर निम्न प्रकरणों में लागू होंगे-

१:- ऐसे प्रस्ताव जिनमें सैद्धान्तिक स्वीकृति वन संरक्षण अधिनियम १९८० की धारा-२(II) के तहत दिनांक ०६/०१/२०२२ के पश्चात् प्राप्त हुए हो।

२:- ऐसे प्रस्ताव जिनमें सैद्धान्तिक स्वीकृति वन संरक्षण अधिनियम १९८० की धारा-२(II) के अन्तर्गत ०५ वर्ष से अधिक पूर्व अर्थात् दिनांक ०६/०१/२०१७ से पूर्व प्राप्त हुयी हो, परन्तु Stage-II का अनुमोदन दिनांक ०६/०१/२०२२ तक अप्राप्त हो।

आपके कार्यालय का निम्न वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, जो उक्त संशोधित एन०पी०वी० दरों की परिधि में आच्छादित हैं के क्रम में अंकित विवरणानुसार अतिरिक्त एन०पी०वी० की धनराशि जमा किया जाना अपेक्षित है।

क्र०स०	परियोजना का नाम	सैद्धान्तिक स्वीकृति का दिनांक	पूर्व की दरों के अनुसार जमा की गई एन०पी०वी० की धनराशि	वर्तमान दरों के अनुसार एन०पी०वी० की अवशेष धनराशि निम्नानुसार जमा किया जाना है
१	जनपद चमाली के अन्तर्गत मालई से भट्कवाली मोटर मार्ग निर्माण हेतु ३.३७६ है० वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।	०८-०९-२०१६	३.३७६ x ६,५७,०००.०० = २२,१८,०३२.००	३.३७६ x १०,०५,२१०.० = ३३,९३,५८९.०० (अवशेष धनराशि)= = ११,७५,५५७.००

सुलभ संदर्भ हेतु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन (वन संरक्षण प्रभाग) इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड नई दिल्ली के उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः उक्तानुसार एन०पी०वी० की अवशेष धनराशि जमा करने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में विधिवत स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

भवदीय,

(इन्द्र सिंह नेगी)

प्रभागीय वनाधिकारी,

केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

PART-II

(To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forest)

State Serial No. of proposal : UK-082/2016

1. Location of the project/Scheme : Uttarakhand

- (i) State / Union Territory : Uttarakhand
(ii) District : Chamoli
(iii) Forest Division : Kedarnath Wild Life Division, Gopeshwar
(iv) Area of forest land proposed for diversion (in ha.) : 3.376
(v) Category of the Proposal: Road

2. Legal status of forest land proposed for diversion

S. No.	Division	Forest Land(ha.)	Legal Status
1	Kedarnath Wild Life Division, Gopeshwar	1.185	Revenue Forest
2	Kedarnath Wild Life Division, Gopeshwar	2.191	Village Forest
Total		3.376	

Division 1. : Kedarnath Wild Life Division, Gopeshwar

3. District wise area to be diverted in the division

S. No.	District	Area(ha.)
1	Chamoli	3.376
Total		3.376

4. Details of Vegetation available in the forest land proposed for diversion

- (i) Density of vegetation

S. No.	Area(in ha.)	Density	Eco-Class
1	3.376	0.2	Eco 5

Total.	3.376		
--------	-------	--	--

(ii) Species-wise local/scientific names and girth-wise enumeration of trees at FRL

S. No.	Scientific Name	Local Name	(0-30)cm.	(31-60)cm.	(61-90)cm.	(91-120)cm.	(121-150)cm.	(>150)cm.
1	Misc. Species	Anyar, Kafal, Tilonj, Moru, Mehal, Loda	0	103	9	1	0	0
2	Pinus roxburghii	Chir	0	36	18	4	0	0
3	Quercus leucotricophora	Banj	0	69	25	4	1	0
4	Rhododendron arboreum	Buras	0	36	7	0	0	0
Total			0	244	59	9	1	0
Sub Total (No of Trees.)			313					

5. Working plan prescription for the forest land proposed for diversion : Working plan on this division under preparation.

6. Brief note on vulnerability of the forest area to erosion : Middly prone to erosion.

7. Approximate distance of the proposed site for diversion from boundary of forest(in km.) : 0.50

8. Significance of the forest land proposed for diversion from wildlife point of view

(i). Details of wildlife present in and around the forest land proposed for diversion : Leopard, Bear, Marden, Monkey, etc

(ii). Whether forms part of national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc. : No

(iii). Whether the forest land proposed for diversion is located within eco-sensitive zone(ESZ) of the Protected Area notified under Wildlife(Protection) Act, 1972 (Note: In case, ESZ of a Protected Area is not notified, then, 10kms distance from boundary of the Protected Area should be treated as ESZ): No

(iv). Whether any national park, wildlife sanctuary, biosphere reserve, tiger reserve, elephant corridor, wildlife migration corridor etc., is located within 1 Km. from boundary of the forest land proposed for diversion : No

(v). Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area : No

9.

Details of any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument located in the

area, if any

- (i). Whether any protected archaeological/heritage site/defence establishment or any other important monument is located in the area : No

10. Comment as to the reasonability of the extent of the forest land proposed for diversion

- (i). Whether the requirement of forest land as proposed by the user agency is unavoidable and bare minimum for the project : Yes



11. Details of violation(s), if any ,committed




- (i). Whether any work in violation of the Act or guidelines issued under the Act has been carried out : No

12. Whether work in violation is still in progres(Yes/No) : NIL


13. Details of compensatory afforestation scheme

- (i). Patch wise details of non-forest or Revenue forest land to be provided by User Agency for CA

Patch Wise Details						
S.no	District Name	Village	Area(in ha.)	khasra	KML file	Present Owner file
1	Chamoli	Bhatkwali	6.752	606,2694,2757,2759		

- (ii). Upload a scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed for C.A. prepared by using DGPS or Total Station: 
- (iii). Upload a copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed for C.A.: 
- (iv). Copy of CA scheme details: 

Additional information Details



S. No.	Documents	Remarks
1		

14. District Profile

S.no	District Name	Geographical area of the district (in	Forest area of the district (in	Total forest area diverted since	No. of Approved	Forest Land including penal	Progress of compensatory	A) Forest land (in	B) Non-forest land



		ha.)	ha.)	1980 (in ha.)	Cases	C.A. (in ha.)	afforestation as on(date)	ha.)	(in ha.)
1	Chamoli	803000	5147.92	1031.955	247	434.32	11/03/2016	434.32	0


15. Site inspection report of the DFO/CCF/Nodal Officer highlighting important facts pertaining to the forest land

Division Name	Circle	Site inspected By	Whether site inspected	No. of times site visited	Site inspection report	Date of visit
Kedarnath Wild Life Division, Gopeshwar	Director, Nanda Devi Biosphere Reserve, Gopeshwar	DFO	Yes	One		09/03/2016
	Director, Nanda Devi Biosphere Reserve, Gopeshwar	CF	Yes	One		30.03.2016

(Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer with (Part II, III & Part IV))


16. Specific recommendation of the DFO/CCF/Nodal Officer for acceptance or otherwise of the proposal with reason

Division	Circle	Recommendation By	Recommendation	Reason	Letter	Whether CF agreed
Kedarnath Wild Life Division, Gopeshwar	Director, Nanda Devi Biosphere Reserve, Gopeshwar	DFO	Recommended	In Public Demand.		
	Director, Nanda Devi Biosphere Reserve, Gopeshwar	CF	Recommended	In Public Demand.		Yes

		Nodal Officer	Recommended	as per file attached		
--	--	---------------	-------------	----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	--


Specific recommendation of the State Government(Part V)

17. Specific recommendation of the State Government for acceptance or otherwise of the proposal with reason (Part V)



State	Recommendation By	Recommendation	Recommendation Date	Remarks	Signing Authority	Notification	Recommendation Letter
Uttarakhand	State Secretary	Recommended	18/04/2016		State Govt. Officer	No Data	

Stage-I Clearance Report

17.

Regional Office	Recommendation By	MoEF File No.	Date of Stage-I Clearance	Clearance Letter
Dehradun	Regional Office	8B/UCP/06/73/2016/FC/926	08/09/2016	

18. Payment made by User Agency

Proposal No.	Application No.	Total Amount (Rs.)	Recieved Amount (Rs.)	Transaction Date	Transaction ID	Bank Name	Mode of Payment	Uploaded Demand Letter
FP/UK/ROAD/18222/2016	ROAD182222016890	1175557	1175557	18 Oct 2022	748643	Union Bank Of India	NEFT/RTGS (Challan)	
FP/UK/ROAD/18222/2016	ROAD182222016489	3772570	3772570	07 Apr 2017	ORBCR52017040700063333	Corporation Bank	NEFT/RTGS (Challan)	

19. Uploaded Status of Land to be transferred to Forest Department under FCA (Mutation Details).

- (i). Whether CA Land is mandatorily required in this Proposal : Yes
- (ii). Total Land identified for raising CA: 6.752
- (iii). No. of Maintenance years: 10
- (iv). Total No. of Patches/Parcel: 1

20. Mutation Details Verified By Nodal Officer

Proposal No.	Verified Date	Mutation Letter	Remarks
FP/UK/ROAD/18222/2016	02 Sep 2019	No Data	as per file attached


No. of patches : 1

Patch wise details		
Patch No.	Shape of land identified for CA	Area of Patch/Parcel(in ha.)
1	Block(Polygon)	6.752


Status of CA Land so identified : Non Forest Area

Site Name : NIL

Location Details : NIL

Uploaded GPS File : Uploaded Scanned copy of Map : 

Mutation Status : Mutated

Mutation Status						
Circle Name.	Name of Division.	Name of Range.	Mutation Order No.	Mutation Date	How Much Mutated Land Received	Mutation Letter
Director, Nanda Devi Biosphere Reserve, Gopeshwar	Kedarnath Wild Life Division, Gopeshwar	Dhanpur	3222/26-14(2016-2017) Gopeshwar	03 Mar 2018	6.752	

23. Stage-II Clearance Details

Proposal No.	Date of Stage-II Clearance	Proposal Status	Clearance Letter
FP/UK/ROAD/18222/2016		Approved In-Principle	No Data

